सं. 1772ए/9-7-911-19 एन.आर.वाई./91

प्रेषक,

नूर मोहम्मद,
विशेष सचिव,
आवास एवं नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 19 नवम्बर, 1992

नगर विकास अनुभाग–७

विषय : नेहरू रोजगार योजना की उपयोजना नगरीय मजदूरी योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

नेहरू रोजगार योजना के क्रियान्वयन से सम्बंधित दिशा निर्देश शासनादेश संख्याः 666(1)/9-1-90-5 ने./09 फरवरी,1990 तथा नगरीय मजदूरी योजना के क्रियान्वयन की रूप रेखा शासनादेश सं.: 1122ए/9-7-एन.आर.वाई./91, दिनांक 30 जुलाई,1991 द्वारा समस्त जनपदो को उपलब्ध कराई जा चुकी है।

2. भारत सरकार के दिशा निर्देशों में यह व्यवस्था की गई है कि नगरीय मजदूरी योजना के अन्तर्गत अनुमानित अनुपात से अधिक सामग्री वाली सार्वजनिक सम्पत्तियों के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था हेतु नागर स्थानीय निकाय अपने स्त्रोतों से नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को बढ़ा सकते हैं। ज्ञातव्य है कि इस योजना के अन्तर्गत सामग्री एवं श्रम का अनुपात 60 : 40 है। प्रदेश शासन द्वारा समस्त नागर स्थानीय निकाय को सड़क अनुदान के रूप में प्रति वर्ष धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इस अनुदान से स्थानीय निकायों में पुरानी सड़कों की मरम्मत तथा नई सड़कों का निर्माण किया जाता है। नयी सड़कों के निर्माण के लिए सड़क अनुदान के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाली धनराशि को नगरीय मजदूरी योजना के अन्तर्गत उपलब्ध..... धनराशि.....से यदि डबटेल कर दिया जाय तो अपेक्षाकृत अच्छी सड़कों की निर्माण किया जा सकता है।

3. इस परिप्रेक्ष्य में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागर स्थानीय निकायों में उपलब्ध सड़क अनुदान को, नई सड़कों के निर्माण मामलों में, नगरीय मजदूरी योजना के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों से डबटेल किया जा सकता है। ऐसा करते समय इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित सामग्री श्रम अनुपात

60 : 40 को बनाये रखा जाय। इस प्रकार संसाधनों के एकीकरण से अपेक्षाकृत अधिक गुणवत्तापूर्ण परिसम्पत्तियों को निर्मित किया जा सकेगा और नागर स्थानीय निकाय के निवासियों को योजनाओं का बेहतर लाभ मिलेगा।

4. भारत सरकार के मार्ग निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य नगरीय मजदूरी योजना के अन्तर्गत कराये जा सकते हैं, जो कार्य इंगित किये गये हैं, उनमें एक प्राथमिकता निर्धारित की जानी चाहिए और उसी के आधार पर कार्यों को कराया जाना चाहिए। यह प्राथमिकता निम्न प्रकार हो सकती है:-

(1) कम लागत के सामुदायिक शौचालय
(2) सड़क निर्माण
(3) सामदायिक सुविधाओं को उपलब्ध कराना
(4) अन्य कार्य

कृपया विभिन्न नागर स्थानीय निकायों की योजनाओं को जिला नगरीय विकास अभिकरण के स्तर पर अनुमोदित करते समय उपरोक्त प्राथमिकता को भी ध्यान में रखा जाय। आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्देशों से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नूर मोहम्मद)
विशेष सचिव।

संख्या-1773ए/9-7-92-19 एन.आर.वाई./90, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त अपर आयुक्त (प्रशासन) एवं पदेन अपर निदेशक, राज्य नागर विकास अभिकरण, मण्डलायुक्त कार्यालय, उ.प्र.।
(3) समस्त परियोजना निदेशक/अपर परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
(4) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ5
(5) समस्त मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका, उत्तर प्रदेश।
(6) अपर निदेशक, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र., लखनऊ।
(7) समस्त अध्यक्ष, नगरपालिका, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया उत्तर प्रदेश।
(8) नगर विकास अनुभाग-1/अनुभाग-5
(9) सड़क अनुदान कोष्ठक।

भवदीय,

(नूर मोहम्मद)
विशेष सचिव